

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

ना.सं. प्र.सं. - पत्र संख्या - 2016/07

दा.दि. 27.06.2016

| आवेदकगण | बनाम् | अनावेदकगण |
|---|-------|---|
| <p>1. लिछमण पुत्र मुलाराम, 2. गिरधारी पुत्र मुलाराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-डीकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p> | | <p>1. भंवराराम पुत्र हुक्माराम 2. मोटाराम पुत्र हुक्माराम 3. सुवटी पत्नी हुक्माराम 4. चन्द्राराम पुत्र दौलाराम (फौत) 4/1 रिडमल पुत्र स्व. चन्द्राराम 4/2 हरदेवाराम पुत्र स्व. चन्द्राराम 4/3 बायला, पुत्री स्व. चन्द्राराम 4/4 भंवरी पत्नि स्व. चन्द्राराम 5. पेमाराम पुत्र दौलाराम 6. रामकरण दत्तक पुत्रनारायणराम 7. सोहनराम पुत्र रूगाराम 8. मोतीराम पुत्र रूगाराम 9. देबुराम पुत्र रूगाराम समस्त जाति जाट निवासी डीकावा तह. डीडवाना जिला नागौर 10. दुर्गासिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत निवासी बेगसर तह. डीडवाना जिला नागौर राज. 11. बंशीलाल पुत्र रामकुंवार 12. बनवारीलाल पुत्र गणपत 13. पूजा पुत्री रामस्वरूप 14. कौशल्या पुत्री गणपत 15. सुमन पुत्री गणपत 16. मन्जू पुत्री गणपत 17. जीवणी पत्नि गणपतसमस्त जाति खाती निवासी बेगसर तह. डीडवाना जिला नागौर राज. 18. मेनेजर साहब बैंक ऑफ बडौदा शाखा डीडवाना 19. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना 20. पारुदेवी पत्नि मूलाराम जाति-जाट, निवासी-डीकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। 21. मेनेजर साहब सैन्टल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर</p> |

**सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)**

प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान् मय अधिवक्ता उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक- 22.09.2017

प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम डीकावा में स्थित संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 312 रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थीगण बाद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षिये कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा रिपोर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.05.2017 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक- ग्राम डीकावा के खसरा नम्बर 312 में आने-जाने हेतु नजदीक रास्ता मौजा डीकावा पटवार क्षेत्र निम्बी कलां के खेत ख. न. 321 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा मे खातेदार भंवराराम मोटाराम वगैराह में से बिन्दू ए. से बी. स्थान तक 24 फीट रास्ता कुल 19 बिस्वा व ग्राम जैतपुरा के ख. न. 220 में खातेदार बंशीलाल पुत्र रामकुवार वगैराह में से बिन्दू बी.से सी. व सी. से डी. व डी. से ई. व ई. से एफ स्थान तक 24 फीट रास्ता कुल 12 बिस्वा बनती है। उक्त रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। ख. न. 321 ग्राम में बिन्दू डी से पुर्व की तरफ ढाणी बनी हुई होने के कारण ग्राम जैतपुरा की शरहद में रास्ते की मांग की गई है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा ख. न. 312 में कोई नजदीकी कटाणी रास्ता नहीं लगता है।

बहस अधिवक्ता व आवेदकगण को सुना गया। आवेदकगण प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।


शरहद डीकावा पटवार हल्का निम्बी कला के खेत खसरा नम्बर 312 रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने-जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)


कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपोर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 312 रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा वाकै सरहद डीकावा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2017 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ. से दर्शित लाईन को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार डीडवाना उपरोक्त रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।


(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 22.09.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना